



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2021-22




उत्तराखण्ड सरकार

प्रस्तावना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लेखापरीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएं, उत्तर न दिये गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु-सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्ग दर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।



(राजीव कुमार)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड

दिनांक: 27/12/2022

स्थान: देहरादून।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रपत्र-51 कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा शीर्ष में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियां लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)।
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेकों अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएं इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी है (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखापरीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में अन्य अनियमिततायें पायी गईं (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:-

1. मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि (जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य) के अंतर्गत प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का निस्तारण संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम)के रूप में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नही रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय परिशोधन लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2021-22 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक:-

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2022 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-191 थी। विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

क्रम संख्या	विभाग	खण्डों की संख्या
1.	लोक निर्माण	85
2.	सिंचाई	72
3.	लघु सिंचाई	13
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग	21
योग		191

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखापरीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

प्रथम-भाग

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह भी प्रकाशन में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :-

तालिका-1

वर्ष	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई विभाग	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड			विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग	कुल खण्ड	विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत
					सिंचाई (खण्ड)	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग			
2021-22	378	85	381	70	103	37	12	1066	191	46.51
2020-21	262	73	473	109	68	49	07	1041	199	43.59
2019-20	241	61	373	80	69	53	09	886	199	37.10
2018-19	141	29	268	43	64	62	16	623	198	26.22
2017-18	105	22	232	23	42	53	13	490	198	20.62

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2017-18 में लगभग 21 प्रतिशत थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 46.51 प्रतिशत मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, विगत वर्षों में विलम्ब से प्राप्त लेखों के प्रतिशत में निरंतर बढ़ोतरी हुई है जो एक गंभीर विषय है एवं जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2021-22 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभागवार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में शासन स्तर से कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराये।

नोट: कोषागार द्वारा संकलित मासिक लेखे Interface के द्वारा इस कार्यालय को ससमय प्राप्त हो रहे हैं।

प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51 शैड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता था।

अप्रैल 2019 से राज्य मे IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। इस कारण खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 का ब्रॉडशीट अद्यतन नहीं किया जा सका।

प्रस्तर-3: सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत कुछ खण्डों में कुल **रु. 39.95(crore)** का प्रतिकूल अवशेष था, इसका कारण ऋणात्मक अवशेष

वाले खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व के अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह अन्वित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को भी अन्वित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 160.06 लाख के लम्बित अवशेष:-

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240/दस-95-17(6)/83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह देखने में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रु. 160.06 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन के पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेषों का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658—उचन्त लेखे—107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन के पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति—निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

प्रस्तर—5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 262.99 लाख अनिस्तारित अवशेषः—

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—6 के प्रस्तर—763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा समायोजन, शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा प्रकाशन में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध रु. 262.99 लाख की राशि राज्य विभाजन के पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक—4 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेषों का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—6 के प्रस्तर—763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह अनुगामी माह की चार तारीख तक, समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का राशिवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियां अनुलग्नक-6 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियां अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्षों में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये

दिशा-निर्देश किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा समुचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार – लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित लेखा संहिता “वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI” में भी संशोधन अपेक्षित है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जांच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियाँ:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ/कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे-प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती गई। आई.एफ.एम.एस. से सजित फार्म 80 में रोकड़ के आरंभिक एवं अंतिम शेष के कॉलम नहीं बनाये गये हैं।
- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया गया।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया गया।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान की प्रति प्रेषित नहीं की गई।
- vi. मासिक लेखों के साथ चालान द्वारा सीधे कोषागार में जमा किए गए राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण की राशि की

सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित हैं।

- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शैड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आवंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी0एल0सी0 द्वारा आवंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67ए (शैड्यूल ऑफ एम0पी0एस0एस0ए0) को संलग्न न किये जाने से स्टॉक उचन्त का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76ए (शैड्यूल ऑफ सी0एस0एस0ए0) को संलग्न नहीं किया गया जिससे लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा हुई।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आवंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होता है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबन्धित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित

करें तथा शासन स्तर से शुरू की गई सुधारात्मक कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को अवगत करायें।

प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियां दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुयी हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम शीर्ष को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए ।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय-भाग

प्रस्तर-1: निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का प्रथम उत्तर/अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।


यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

अभियंत्रण खण्डों की सूची, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर निर्धारित समयान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

प्रस्तर-2: स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-9 में दी गयी है। निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं के निरीक्षण में पाए गये भुगतान आधिक्य व अन्य अनियमितताओं का विवरण अनुलग्नक-10 में दिया गया है।

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।


वरि० उपमहालेखाकार/प्रशासन एवं लेखा

अनुलग्नक-1(अ)
(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2021-22 में विलम्ब से प्राप्त हुए:-

माह	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई खण्ड	लोक निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	योग
अप्रैल-2021	63	13	81	21	178
मई-2021	52	08	47	08	115
जून-2021	29	04	32	03	68
जुलाई-2021	38	08	15	02	63
अगस्त-2021	40	05	16	01	62
सितम्बर-2021	49	09	32	07	97
अक्टूबर-2021	42	10	45	10	107
नवम्बर-2021	35	05	30	08	78
दिसम्बर-2021	42	08	39	04	93
जनवरी-2022	42	05	29	09	85
फरवरी-2022	33	05	22	04	64
मार्च-2022	16	05	30	05	56
योग	481	85	418	82	1066

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2021 से मार्च 2022
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	आई. आर. डी.	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022
1.	001	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	20.05.21	14.06.21				12.10.21	16.11.21		13.01.22	21.02.22	16.03.22	
2.	002	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	17.05.21	14.06.21	16.07.21	N/A	15.09.21	n/a		13.12.21	13.01.22	21.02.22		
3.	003	लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा		12.06.21		13.08.21	15.09.21		12.11.21		13.01.22	21.02.22	14.03.22	
4.	031	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	18.05.21	18.06.21		N/A	17.09.21	18.10.21	22.11.21	16.12.21	13.01.22	15.02.22	14.03.22	
5.	035	सिंचाई खण्ड, चमोली		14.06.21		13.08.21	17.09.21	18.10.21	N/A		19.01.22	28.02.22		
6.	045	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत	15.05.21	12.06.21	12.07.21	12.08.21	15.09.22 1	12.10.21		20.12.21	19.01.22	24.02.22	14.03.22	
7.	053	सिंचाई खण्ड, देहरादून	21.05.21	18.06.21	15.07.21	16.08.21	17.09.21	18.10.21	18.11.21	13.12.21	25.01.22			22.04.22
8.	054	सिंचाई खण्ड, कालसी	18.05.21	14.06.21	15.07.21		14.09.21		12.11.21				16.03.22	
9.	055	नलकूप खण्ड, देहरादून	25.05.21	12.06.21										
10.	056	अनुसंधान एवं अवरस्थापना खण्ड, देहरादून	20.05.21	23.06.21										
11.	061	सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून	31.05.21					18.10.21	16.11.21	13.12.21	19.01.22	21.02.22		26.04.22
12.	066	परियोजना खण्ड, देहरादून	31.05.21											
13.	069	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड	N/A	14.06.21	15.07.21	16.08.21	15.09.21	20.10.21	18.11.21	20.12.21	13.01.22		22.03.22	23.05.22
14.	073	सिंचाई खण्ड रुड़की	25.04.21	14.06.21	14.07.21	N/A				16.12.21		15.02.22	14.03.22	
15.	126	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	12.05.21		N/A	13.08.21	15.09.21			13.01.22	25.01.22			
16.	127	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून	21.05.21											
17.	128	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	21.05.21	17.06.21		13.08.21	15.09.21					15.02.22		
18.	129	नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार	12.05.22	N/A	15.07.21					16.12.21		21.02.22	14.03.22	
19.	130	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की	25.05.21			N/A				16.12.21			14.03.22	
20.	131	परिकल्प खण्ड, रुड़की	31.05.21	14.06.21					12.11.21					
21.	132	स्थापना खण्ड रुड़की	31.05.21	14.06.21					12.11.21					

22.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूड़की	31.05.21	14.06.21				18.10.21	12.11.21	13.12.21	13.01.22			
23.	135	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	31.05.21	14.06.21		13.08.21	15.09.21	18.10.21	16.11.21		13.1.22	21.02.22		
24.	150	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	24.05.21	14.06.21	15.07.21	12.08.21	15.09.21	20.10.21	16.11.21	20.12.21	19.01.22	21.02.22	12.03.22	25.04.22
25.	151	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	21.05.21	11.06.21				12.10.21	22.11.21	13.12.21	13.01.22	24.02.22	16.03.22	
26.	153	जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल	20.05.21					12.10.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27.	154	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	24.05.21	14.06.21		12.08.21	15.09.21	12.10.21	16.11.21	16.12.21	19.01.22	21.02.22		
28.	155	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	24.05.21	16.06.21				12.10.21	12.11.21			21.02.22	16.03.22	
29.	170	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	N/A	12.06.21		12.08.21	15.09.21	11.10.21	18.11.21	20.12.21	13.01.22			
30.	171	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	08.06.21	08.07.21				18.10.21						
31.	172	नलकूप खण्ड, बाजपुर	25.05.21	11.06.21	16.07.21			12.10.21			13.01.22	N/A		
32.	200	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़	18.05.21			16.08.21	20.10.21	20.10.21		20.12.21	19.01.22	21.02.22	16.03.22	
33.	230	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	21.05.21					12.10.21			13.01.22			
34.	240	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	04.06.21	14.06.21	14.07.21	16.08.21	17.09.21	20.10.21	22.11.21	13.12.21		25.03.22	25.03.22	
35.	241	अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी	20.05.21	14.06.21	14.07.21	11.08.21	27.09.21	12.10.21	11.12.21	20.12.21	25.01.22	15.02.22	06.04.22	25.04.22
36.	242	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	25.05.21	23.06.21										
37.	250	सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर	24.05.21	18.06.21	N/A	11.08.21	21.09.21	12.10.21	16.11.21		19.01.22			
38.	251	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर						11.10.21						
39.	260	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	21.05.21	25.06.21	15.07.21	16.08.21	17.09.21	25.10.21	24.11.21	27.12.21	19.01.22			
40.	261	सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी	13.07.21	13.07.21				18.10.21	29.11.21		25.01.22	24.02.22	22.03.22	25.04.22
41.	262	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी	N/A			13.08.21	15.09.21		N/A	27.12.21		04.03.22	16.03.22	
42.	266	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	22.06.21	14.06.21	14.07.21		N/A	22.10.21	N/A	13.12.21	24.02.22	24.02.22	N/A	N/A
43.	270	नलकूप खण्ड, रामनगर	19.05.21	14.06.21		N/A	21.09.21	18.10.21	16.11.21	13.12.21	13.01.22		16.03.22	21.04.22
44.	271	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	21.05.21	11.06.21		N/A	13.09.21				19.01.22			

45.	272	सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़	N/A	16.06.21	19.07.21	16.08.21	15.09.21	27.10.21	24.11.21	20.12.21	19.01.22	15.02.22	16.03.22	
46.	273	सिंचाई खण्ड, कपकोट	18.05.21	14.06.21		N/A	15.09.21	N/A		16.12.21	19.01.22	21.02.22	16.03.22	25.04.22
47.	274	सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली	13.07.21	13.07.21	13.07.21	N/A	15.09.21	22.10.21	24.11.21		19.01.22	21.02.22	22.03.22	25.04.22
48.	276	प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊ, रुड़की	21.05.21	23.06.21	14.07.21			12.10.21	12.10.21			15.02.22		
49.	331	(सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोडा	19.05.21					27.10.21	N/A		13.01.22	21.02.22	13.04.22	
50.	333	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) बागेश्वर	21.05.21	15.06.21	19.07.21	N/A	15.09.21	18.10.21	16.11.21		N/A	15.02.22	N/A	
51.	334	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) नैनीताल	N/A	11.06.21	15.07.21		N/A		N/A				N/A	
52.	335	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चम्पावत	25.05.21		N/A									
53.	336	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल				13.08.21	15.09.21	18.10.21			25.01.22			
54.	337	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) कोटद्वार	N/A											
55.	338	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पिथौरागढ़	N/A	N/A		N/A		12.10.21	N/A	13.12.21	19.01.22	21.02.22		
56.	339	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) रुद्रप्रयाग,	31.05.21		N/A									
57.	341	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी		N/A	N/A			18.10.21		13.12.21		21.02.22		
58.	342	सिंचाई खण्ड-2, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी	31.05.21	18.06.21					12.11.21	N/A		N/A		

59.	343	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) उत्तरकाशी		12.06.21	15.07.21		15.09.21		12.11.21	27.12.21		N/A		N/A
60.	349	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस. वाई.) बैजरो पौड़ी गढ़वाल	19.05.21					11.10.21	20.12.21	N/A	N/A	21.02.22	14.03.22	
61.	350	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पुरौला	24.05.21	11.06.21			15.09.21	12.10.21						
62.	351	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) देहरादून	25.05.21			11.08.21		11.10.21			13.01.22			
63.	353	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) लोहाघाट	20.05.21	14.06.21		12.08.21	15.09.21	12.10.21		20.12.21		21.02.22		
64.	354	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) जखोली	31.05.21			12.08.21	17.09.21							
65.	355	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़		18.06.21	16.07.21	19.08.21	15.09.21	18.10.21	22.11.21	N/A	10.02.22	21.02.22	22.03.22	N/A
66.	356	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	21.05.21	22.06.21		16.08.21	15.09.21	12.10.21	16.11.21			21.02.22	14.03.22	25.04.22
67.	357	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	21.05.21	23.06.21							13.01.22			
68.	358	नलकूप खण्ड, टनकपुर	20.05.21					12.10.21			13.01.22	21.02.22	22.03.22	25.04.22
69.	359	नलकूप खण्ड, हरिद्वार			19.07.21	N/A	22.09.21	12.10.21	22.11.21		25.01.22	24.02.22		
70.	360	जल विज्ञान खण्ड				13.08.21	15.09.21	12.10.21						
71.	361	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड	12.05.21	N/A	N/A		28.09.21	N/A	N/A	27.12.21	25.01.22	21.02.22	28.03.22	
72.	362	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) हल्द्वानी	19.05.21	N/A	19.07.21	N/A	20.10.21	20.10.21	N/A	20.12.21		24.02.22	22.03.22	N/A

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लघु सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2021 से मार्च 2022
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०		खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022
1.	100	लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक आफिस, रायपुर, देहरादून	20.05.21	16.06.21		N/A	13.09.21	12.10.21	16.11.21				14.03.22	
2.	101	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	31.05.21					11.10.21	12.11.21	N/A				
3.	200	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	19.05.21	N/A	15.07.21			11.10.21	12.11.21	16.12.21	19.01.22	N/A		25.04.22
4.	201	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	25.05.21			N/A	15.09.21		16.11.21		13.01.22	15.02.22		
5.	300	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	31.05.21	14.06.21	N/A				12.11.21					25.04.22
6.	301	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमौली	31.05.21	11.06.21		16.08.21	15.09.21	18.10.21	16.11.21	20.12.21	19.01.22		16.03.22	
7.	400	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	24.05.21	18.06.21							19.01.21	N/A	14.03.22	25.04.22
8.	401	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	21.05.21			N/A		20.10.21	29.11.21		13.01.22			26.04.22
9.	500	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	N/A											
10.	501	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	N/A	12.06.21		14.08.21	17.09.21	27.10.21	22.11.21	13.01.22	25.01.22	21.02.22	N/A	
11.	600	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	25.05.21	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22
12.	601	लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर	12.06.21			11.08.21		11.10.21	16.11.21		13.01.22			
13.	700	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	N/A	N/A	N/A	N/A		18.10.21						

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लोक निर्माण खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2021 से मार्च 2022
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	कोड	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022
1.	001	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	21.05.21	30.06.21	23.07.21	01.09.21	07.03.22	07.03.22	07.03.22	07.03.22	07.03.22	07.03.22	07.04.22	26.04.22
2.	002	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	17.05.21	14.06.21				11.10.21	15.11.21		17.01.22		14.03.22	22.04.22
3.	003	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	15.05.21	14.06.21				11.10.21				17.02.22	14.03.22	25.04.22
4.	004	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	21.05.21	14.06.21		13.08.21		20.10.21	22.11.21	21.12.21	21.01.22	22.02.22	21.03.22	26.04.22
5.	016	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर	14.06.21	14.06.21	12.07.21		13.09.21	18.10.21	22.11.21			11.12.21	14.03.21	25.04.21
6.	026	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर	31.05.21	14.06.21	12.17.21			18.10.21	16.11.21	12.01.22				
7.	027	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग	15.05.21			13.08.21			12.11.21	15.12.21	17.01.22	15.02.22	14.03.22	20.04.22
8.	028	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ	15.05.21	14.06.21							17.01.22			
9.	029	अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर	14.06.21	14.06.21	15.07.21		13.09.21	13.10.21	16.11.21	14.12.21	18.01.22	17.02.22	15.03.22	
10.	030	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली	28.06.21	05.08.21	05.08.21	17.08.21	13.09.21	18.10.21		21.02.22	21.02.22	21.02.22	14.03.22	
11.	031	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर	15.05.21		12.07.21					15.12.21				
12.	045	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	31.05.21	21.06.21			13.09.21	14.10.21		22.12.21	17.01.22			
13.	046	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	24.06.21	28.06.21	12.07.21		14.09.21	18.10.21			17.01.22	15.02.22	14.03.22	21.04.22
14.	051	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	24.06.21	24.06.21	12.07.21	16.08.21		18.10.21	25.11.21	21.12.21	20.01.22	22.02.22	14.03.22	
15.	052	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० साहिया	24.06.21				15.09.21				13.01.22			27.04.22
16.	053	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता												
17.	054	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	15.05.21	14.06.21					16.11.21	13.12.21	13.01.22			

18.	055	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला												
19.	056	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी, चमोली	15.05.21	14.06.21	20.07.21			15.11.21						
20.	057	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार	15.05.21	14.06.21	20.07.21			15.11.21						
21.	071	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार			12.07.21			15.11.21		12.1.22				
22.	072	वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० ऋषिकेश	15.05.21	14.06.21	14.07.21			15.11.21			17.02.22			
23.	073	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश	15.05.21											
24.	075	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० रूडकी	25.05.21											
25.	091	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	27.05.21	21.06.21	19.07.21		18.10.21	12.11.21		13.01.22			21.04.22	
26.	092	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	19.05.21	21.06.21	19.07.21								06.04.22	
27.	093	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर	19.05.21	14.06.21				12.11.21						
28.	094	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	14.06.21	14.06.21						14.01.22		14.03.22	25.04.22	
29.	095	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर	17.05.21								16.02.22		21.04.22	
30.	096	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	21.05.21	14.06.21	12.07.21		14.10.21		13.12.21	14.01.22	15.02.22	15.03.22		
31.	098	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली	27.06.21				28.10.21	15.11.21		18.01.22				
32.	100	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	27.05.21	14.06.21								14.03.22		
33.	120	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	15.05.21		12.07.21					14.01.22				
34.	121	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन	08.06.21											
35.	122	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० दुगडडा	21.06.21	21.06.21						14.01.22				
36.	123	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी			19.07.21					12.01.22				
37.	124	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर	15.05.21											
38.	125	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरो	21.06.21	21.06.21	12.07.21		13.10.21	15.11.21		20.01.22	21.02.22			

39.	126	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर	21.05.22	14.06.21		17.08.21		18.10.21					14.03.22	21.04.22
40.	140	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़	08.06.21						16.11.21	13.12.21				
41.	141	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट	15.05.21		19.07.21				15.11.21	20.12.21				22.04.22
42.	142	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट	18.05.21	14.06.21	26.07.21			27.10.21	29.11.21	20.12.21				21.04.22
43.	143	विधुत यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़	18.05.21						15.11.21					21.04.22
44.	144	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग	21.05.21	21.06.21	15.07.21			20.10.21	15.11.21	20.12.22			14.03.22	
45.	160	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग	21.06.21	21.06.21										25.04.22
46.	170	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी	31.05.21	21.06.21		18.07.21		18.07.21	15.11.21	13.12.21	14.01.22	16.02.22		26.04.22
47.	171	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी	15.05.21											
48.	172	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा	15.05.21	14.06.21										
49.	173	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर	15.05.21						16.11.21					
50.	174	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	21.05.21	14.06.21			13.09.21	14.10.21	15.11.21	22.12.21	17.01.22	28.02.22		29.04.22
51.	175	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड	31.05.21	28.06.21	22.07.21	17.08.21		13.10.21		27.12.21	25.01.22		21.03.22	27.04.22
52.	200	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग	14.06.21	14.06.21	16.07.21			18.10.21	15.11.21	13.12.21	14.01.22			22.04.22
53.	202	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी	15.02.21	14.06.21			16.09.21	14.10.21	15.11.21		18.01.22		15.03.22	
54.	210	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी	14.06.21				19.09.21	13.10.21			14.01.22		14.03.22	
55.	211	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी	15.05.21				13.09.21	12.10.21	15.11.21	15.12.21	14.01.22	17.02.22	16.03.22	
56.	213	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला	04.06.21	14.06.21	26.07.21	17.08.21								
57.	216	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	19.05.21		12.07.21				24.12.21	27.12.21	18.01.22	17.02.22		05.05.22
58.	217	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	04.06.21						15.11.21			15.02.22	14.02.22	
59.	219	निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि० देहरादून												

60.	220	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की	18.05.21					13.10.21		17.12.21	14.01.22	21.02.22		26.04.22
61.	221	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	08.06.21		20.07.21		16.09.21		15.11.21	24.12.21				
62.	222	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट	18.05.21					14.10.21	17.11.21	15.12.21				
63.	223	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, नैनीताल	27.05.21		26.07.21	19.08.21				16.12.21		21.02.22		
64.	224	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	15.05.21	21.06.21	26.07.21	18.08.21		13.10.21	29.11.21	14.12.22	14.01.22	15.02.22		22.04.22
65.	225	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट	21.05.21	21.06.21	15.07.21	19.08.21		13.10.21	23.11.21		14.01.22			
66.	226	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, गौचर	25.05.21											
67.	227	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 बाजपुर	15.05.21	14.06.21										21.04.22
68.	228	निर्माण खण्ड, लो0 नि0वि0 अल्मोड़ा												
69.	229	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पौड़ी												
70.	230	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, टिहरी												
71.	231	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़												
72.	232	निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, दुगड़डा												
73.	233	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, रुद्रपुर	31.05.21	14.06.21					15.11.21					
74.	234	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, उत्तरकाशी												
75.	235	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, बागेश्वर												
76.	236	विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून	25.06.21	21.06.21	13.07.21			18.10.21	22.11.21	14.12.21	17.01.22	17.02.22		
77.	237	वि0/यां खण्ड, लो0 नि0 वि0 भीमताल	15.05.21						15.11.21	13.12.21	17.01.22			
78.	238	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0 नि0 वि0, रानीखेत	27.05.21	14.06.21					15.11.21	15.12.21		15.02.22		
79.	239	अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 गुप्तकाशी	07.05.21											
80.	240	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ	19.05.21	14.06.21			13.09.21	12.10.21	15.11.21		13.01.22	21.02.22	21.03.22	26.04.22

81.	241	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	07.05.21											
82.	242	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	07.05.21			15.09.21	12.010.2 1			17.01.22	16.02.22			
83.	243	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गेरसेण	25.05.21		14.07.21				15.11.21		16.02.22		21.04.22	
84.	330	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, कालसी	07.05.21											
85.	332	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, पोखरी	15.05.21	15.05.21					15.11.21		18.02.22			
86.	340	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, सल्ट	14.06.21	14.06.21	17.08.21	13.09.21			12.11.21				26.04.21	
87.	344	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, अल्मोडा	14.06.21											
88.	345	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	15.05.21											
89.	346	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0,	14.06.21						12.11.21		17.11.21			
90.	347	पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, सतपुली, कोटद्वार	14.06.21						12.11.21		17.01.22			
91.	348	पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, नरेन्द्र नगर	17.01.21	21.06.21	17.07.21								21.04.21	
92.	355	पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर	15.05.21	21.06.21		17.08.21				13.12.21	17.01.22	21.02.22	31.03.22	26.04.22
93.	357	पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग	15.05.21	15.05.21		15.09.21	15.09.21		18.11.21		18.02.22			

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

1.	010	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	09.07.21	09.07.21		23.08.21								
2.	020	ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर	15.05.21					12.10.21	23.11.21	13.12.21		17.12.22		
3.	030	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	15.05.21					13.10.21		20.12.21				
4.	040	ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग	15.05.21											
5.	050	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	25.05.21						12.11.21				22.04.22	
6.	060	ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार	07.05.21						12.11.21					
7.	070	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	21.05.21						22.11.21			21.02.22		
8.	080	ग्रामीण निर्माण विभाग, (वि० / या०) देहरादून	31.05.21	31.05.21										
9.	090	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी	14.06.21	14.06.21		14.09.21			22.11.21	20.12.21	17.01.22	15.02.22		
10.	100	ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत	07.05.21											
11.	110	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	18.05.21					23.11.21	17.12.21	17.01.22		14.03.22	22.04.22	
12.	130	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी	31.05.21											
13.	150	ग्रामीण निर्माण विभाग, उद्यमसिंहनगर	17.05.21						12.11.21	13.12.21	13.01.22	16.02.22		
14.	170	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	19.05.21	21.06.21	14.07.21	19.08.21		12.10.21				16.02.22	14.03.22	22.04.22
15.	180	ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार	31.05.21	21.06.21										
16.	190	ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली	21.05.21	14.06.21				14.10.21	18.11.21		17.01.22	15.02.22	14.03.22	25.04.22
17.	200	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), डीडीहाट	15.05.21	14.06.21				18.10.21		14.12.21	14.01.22			
18.	210	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), भिकियासैण्ड	15.05.21		12.07.21					13.12.21			14.03.22	25.04.22
19.	220	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), कर्णप्रयाग	09.06.21	09.06.21					29.11.21			16.02.22		
20.	230	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), डीडीहाट	31.05.21		26.06.21			13.10.21	16.11.21	13.12.21		16.02.22		
21.	240	ग्रामीण निर्माण विभाग,, पी०एम०जी०एस०वाई), कपकोट	08.06.21										15.03.22	

अनुलग्नक-2
(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2021-22 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष।

क्रमांक	वी0एल0सी0 कोड	खण्ड का नाम	अवशेष (धनराशि रु. में)
1.	055	नलकूप खण्ड देहरादून	-16199603.74
2.	069	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	-8868718.14
3.	129	नलकूप खण्ड, रूड़की	-305365.00
4.	135	अवस्थापना खण्ड (पुनर्वास), ऋषिकेश	-27676593.00
5.	073	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश	-220525318.00
6.	236	विधुत एवं यात्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	-95279583
7.	053	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 चकराता	-30655054.36
योग			-399510234.88

अनुलग्नक-3
(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु. में
1.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल ।	1515872.00
2.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	750610.22
3.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर ।	2541214.35
4.	नलकूप खण्ड, बाजपुर ।	5686536.00
5.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी ।	489437.00
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल ।	296560.72
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ ।	75487.62
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	4650739.87
योग		16006457.78

अनुलग्नक-4
(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्ड वार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु. में
1.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून ।	23848095
2.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी ।	742569
3.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	68822
4.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	199492
5.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल ।	856098.15
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल ।	91933
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ, रुद्रप्रयाग ।	33300
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	459000.00
	योग	26299309.15

अनुलग्नक-5
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash) की सूची:-

चालानों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, साहिया कालसी ।		
29	नवम्बर 2007 से मार्च 2019	-171954.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ।		
03	दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016	3465434.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा ।		
02	दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक	4884100.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
09	जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक	4515678.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट ।		
26	अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक	27627022.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग ।		
04	जनवरी 2001से मई 2013 तक	1192180.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा ।		
07	दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक	-4819740.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर ।		
14	अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक	-8601651.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी ।		
17	फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक	-668.00
विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून ।		
09	मार्च-2014 से मार्च-2019 तक	1661980.00
विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल ।		
04	अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक	-688895.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
01	मार्च-2019	8850.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।		
21	जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक	-12903215.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित रोकड़ मार्च 2019 तक की दर्शायी गयी है। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-6
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

चैकों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ।		
12	जून-2006 से जून-2016 तक	185470.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा ।		
11	मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक	-53066.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
04	फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक	10168.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट ।		
25	जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक	1556508.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग ।		
07	मार्च-2009 से फरवरी-2013	69761.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा ।		
06	नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक	13101.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर ।		
17	अक्टूबर-2007 से मई-2017 तक	22417.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट ।		
05	अगस्त-2008 से अक्टूबर-2013 तक	35742.00
निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि,, अल्मोड़ा ।		
01	मार्च-2013	10000.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी ।		
02	मार्च-2014 से मई-2017 तक	28461.00
विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून ।		
10	जून-2013 से सितम्बर- 2016	80853.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर ।		
03	जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक	5707.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।		
01	अक्टूबर-2001	9447.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित चैक मार्च 2019 तक के दर्शाये गये हैं। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-7
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 के विभिन्न प्रखण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	धनराशि (रु. में)
1.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की ।	124263
2.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत ।	15112
3.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर ।	655453
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।	902668.36
5.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट ।	4695560.71
6.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग ।	369065.37
7.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा ।	1785828
8.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपूर ।	2990368.57
9.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा ।	3239212.76
10.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट ।	23376215
11.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट ।	20655349
12.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत ।	3354538.36
13.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया ।	4502201
14.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर ।	8064763
15.	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोडा ।	72386
16.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौडी ।	1220564
17.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली ।	7995860.31
18.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल ।	988133.87
19.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग ।	2181659.80
20.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली ।	398565
21.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी ।	7841320
22.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो ।	31232930
23.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर ।	2828558
24.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी ।	9011004
25.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।	5893203
26.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार ।	10027077.27
27.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्तूड ।	4061735.80
28.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत ।	1135098
29.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ ।	2623242.38
30.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनशाली ।	8758135
31.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून ।	9091122
32.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट ।	3977050
33.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून ।	1152670.19

34.	रा०रा०मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट ।	161382
35.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला ।	6785431
36.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैण ।	1377756
37.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौडी ।	8044218
38.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट ।	5948627
39.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी ।	53854.16
40.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर ।	2813820
41.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून ।	379933
42.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी ।	2010269
43.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाडी ।	21526160
44.	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर ।	5053530
45.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर ।	6885060
46.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, थराली ।	280318
47.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट ।	2068355
48.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश ।	819816.59
49.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी ।	4986189
50.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा ।	13309065
51.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौडी ।	3251400
52.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग ।	12448513
53.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा ।	6194501
54.	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता ।	8166712
55.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	3562645
56.	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश ।	5170594
57.	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली ।	3812551.11
58.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, बाजपुर ।	94314
59.	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बैरीनाग	1751629
60.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून ।	144249
61.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	6332395
62.	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर ।	540219
63.	सिंचाई खण्ड, चमोली ।	186056.83
64.	नलकूप खण्ड, देहरादून ।	3874518
65.	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून ।	34490027
66.	सिंचाई खण्ड, कालसी देहरादून ।	4974936.76
67.	परियोजना खण्ड देहरादून ।	1264381.08
68.	संचाई खण्ड, हरिद्वार ।	4494000.16
69.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड ऋषिकेश ।	16692080
70.	परियोजना खण्ड ऋषिकेश ।	241928772
71.	नलकूप खण्ड, रुड़की ।	83687.70
72.	स्थापना खण्ड रुड़की ।	481203

73.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूडकी ।	10174906
74.	सिंचाई खण्ड, सितारगंज ।	255072
75.	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी ।	37276
76.	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ ।	693860
77.	लघु सिंचाई खण्ड अल्मोडा ।	16470
78.	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा ।	1972818
79.	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढवाल ।	136891.16
80.	नलकूप खण्ड, बाजपुर ।	242756.55
81.	सिंचाई खण्ड, पुरोला ।	628599
82.	सिंचाई खण्ड, देहरादून ।	1239417
83.	लघु सिंचाई खण्ड देहरादून ।	36351
84.	लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ ।	2373787
85.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी ।	489296
86.	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर देहरादून ।	5648452.94
87.	परिकल्प खण्ड रूडकी ।	8642
88.	सिंचाई खण्ड, थराली ।	1435176
89.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी ।	6077562.24
90.	लघु सिंचाई खण्ड नैनीताल ।	749207.55
91.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	4379649.69
92.	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी ।	2166407
93.	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग ।	406910.26
94.	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर ।	676620.88
95.	सिंचाई खण्ड, अल्मोडा ।	924963

अनुलग्नक-8
(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)

क.सं.	AIR NO.	विभाग का नाम	इकाई का नाम	इकाई द्वारा प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.22 तक अप्राप्त रहना।
01	12/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।	अप्राप्त
02	21/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।	अप्राप्त
03	23/2021-22	सिंचाई विभाग	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।	अप्राप्त
04	28/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून।	अप्राप्त
05	48/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	अप्राप्त
06	63/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उधम सिंह नगर	अप्राप्त
07	77/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	अप्राप्त
08	86/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु डाल खण्ड, अल्मोडा	अप्राप्त
09	89/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, अवस्थापना(पुनर्वास) खण्ड सिंचाई विभाग, नई टिहरी	अप्राप्त
10	90/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी	अप्राप्त
11	91/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, जमरानी डैम निर्माण खंड, हल्द्वानी	अप्राप्त
12	92/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	अप्राप्त
13	97/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली	अप्राप्त
14	98/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	अप्राप्त
15	100/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	अप्राप्त
16	101/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली	अप्राप्त
17	108/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	अप्राप्त
18	109/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	अप्राप्त
19	111/2021-22	लघु सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	अप्राप्त

20	112/2021-22	सिंचाई विभाग	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ(अगस्तमुनि), रुदप्रयाग	अप्राप्त
----	-------------	--------------	--	----------

अनुलग्नक-9
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

स्थानीय निरीक्षण (वर्ष 2021-22) के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताये:-

क्र. सं.	खण्ड का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	महत्वपूर्ण अनियमितता एवं धनराशि
1	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	3/2021-22	ठेकेदार से रू० 24.72 लाख रायल्टी की वसूली न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना तथा साथ ही खनिज के अवैध खनन/परिवहन के कारण ठेकेदार द्वारा देय अर्थदंड रू० 1.00 करोड।
2			रू० 2067.43 करोड धनराशि के जलकर की वसूली लम्बित रहना।
3	अधिशायी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी	108/2021-22	विभाग की उदासीनता से रू० 3.86 करोड की लंबित वसूली।
4	अधिशायी अभियन्ता, लधुडाल खंड, पिथौरागढ	111/2021-22	शासनादेश का उलंघन कर रू० 110.40 लाख की लागत के पाइप का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए ही चयन अनुबंध से आधार पर क्रय किया जाना।

अनुलग्नक-10
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं में पायी गयी अनियमिततायें:-

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम	पायी गयी अनियमितता	धनराशि
1	03	अधि.अभि. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. बागेश्वर।	निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि एवं Extension Letter की छायाप्रति के संबंध में।	2230200.00 610028.00 91302.00
2	04	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।	कार्य की अवधि में वृद्धि हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया?	303275.00
3	05	अधि.अभि. निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. लक्सर।	स्टेशनरी क्रय को शीर्ष-5054 पर भारित करने के संबंध में स्वीकृति आदेश प्राप्त किया गया?	110633.00
4	06	अधि.अभि. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. देहरादून।	वाउचर को अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के कारण को स्पष्ट करें।	58188.00
5	08	अधि.अभि. अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़।	प्रपत्र-73 में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाये जाने के कारण ?	198900.00
6	09	अधि.अभि., सिंचाई खण्ड, देहरादून।	एक ही सामाग्री का टुकड़ों में क्रय करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत करें।	250000.00
7	11	अधि.अभि., सिंचाई खण्ड, कालसी अम्बाड़ी, देहरादून।	कार्य वास्तविक तिथि से पूर्ण किया गया? विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करें।	71862.00
8	18	अधि.अभि., सिंचाई खण्ड, चमोली	वर्ष 2018-19 में रू0 10,28,271/- के कार्य की प्रारम्भिक तिथि दर्शायी गयी है, परन्तु चतुर्थ रनिंग बिल में कार्य वर्तमान तक प्रगति पर दर्शाये जाने के कारण स्पष्ट करें।	1028271.00
9	19	अधि.अभि., जमरानी डैम, निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी।	जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य की समापन तिथि अंकित न किये जाने के संबंध में।	250000.00
10	20	अधि.अभि., ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर।	Extension letter की छायाप्रति प्रेषित करने हेतु।	692282.00 382979.00
11	26	अधि.अभि., अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।	लेखाशीर्ष 8443 जिला योजना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय पर प्रिन्टर इत्यादि पर किया जाना।	14160.00
12	28	अधि.अभि., लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर।	बिना सक्षम अधिकारी एवं रिवेन्यू स्टैम्प के विभाग द्वारा भुगतान किया जाना।	553627.00
13	29	अधि.अभि., परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून	हैन्ड रिसिप्ट में रिवेन्यू स्टैम्प संलग्न न किया जाय, समाज	1145200.00 250000.00

			कल्याण व्यय 8024 का कार्यालय व्यय पर किया जाय।	
14	30	अधि.अभि., नलकूप खण्ड, देहरादून।	पम्प हाउस की चारदीवारी का सुरक्षा एवं निर्माण कार्य का भुगतान समापन के दो वर्ष बाद किया जाए।	239828.00
15	37	अधि.अभि., निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. श्रीनगर गढ़वाल।	डॉकेट-2 के साथ कार्य से सम्बन्धित वाउचर संलग्न न करना।	122400.00
16	38	अधि.अभि., निर्माण खण्ड, रामनगर, नैनीताल।	डॉकेट के साथ व्यय से सम्बन्धित वाउचरों को संलग्न किया जाना।	1362013.00
17	41	अधि.अभि., अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।	कार्य का भुगतान विलम्ब से किये जाने के सम्बन्ध में।	142096.00
18	43	अधि.अभि., खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-1 स्थायी खण्ड, लो.नि.वि. भवाली, नैनीताल।	कार्य का भुगतान विलम्ब से किये जाने के कारण।	3923930.00 2000000.00
19	44	अधि.अभि., निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. अस्कोट (पिथौरागढ़)	मोटर मार्ग के निर्माण पर भारत व्यय को सामग्री के क्रय पर भारत किये जाने के संबंध में।	650454.00
20	50	अधि.अभि., निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. काशीपुर, उधमसिंह नगर।	Work Expenditure में वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिपोजिट वर्क को फार्म-64 में दर्शाया जाना।	—
21	52	अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।	स्टॉक एकाउन्ट में अन्तिम अवशेष को ऋणात्मक दर्शाया जाना।	4139180.00
22	55	अधि.अभि., लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी।	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री को समिति के माध्यम से न किया जाना।	54500.00
23	56	अधि.अभि., नलकूप खण्ड, रामनगर, नैनीताल।	वाउचर/पत्रावली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया जाना।	—
24	04	अधि.अभि., विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो.नि.वि. गोपेश्वर चमोली।	यात्रा कार्यक्रम/ आदेश संलग्न न किये जाने के संबंध में।	1680.00
25	26	अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नई टिहरी (बोराड़ी)	अभिलेखों के अनुसार कार्य मात्र 45 प्रतिशत ही दर्शाया गया है जबकि भुगतान लगभग कुल अनुमानित लागत के 64 प्रतिशत किया गया।	68.73 लाख